(13)

<u>दिनांक 04.06.2019 को नदी तट वृक्षारोपण के कार्य स्थल चयन हेतु गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।</u>

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची :–

1. श्री विक्रम सिंह गौड़, भा0व0से0, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची – अध्यक्ष।
2. श्री राजीव रंजन, भा0व0से0, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची – सदस्य।
3. श्री मनोज सिंह, भा0व0से0, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची – सदस्य।
4. श्री ए0टी0 मिश्रा, भा0व0से0, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची – विशेष आमंत्रित सदस्य।
5. श्री कमलेश पाण्डेय, भा0व0से0, वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन, झारखण्ड, राँची – सदस्य सचिव।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के कार्यालय आदेश संख्या 25 दिनांक 03.06.2019 द्वारा नदी तट वृक्षारोपण के कार्य स्थल चयन के क्रम में वनभूमि एवं गैर मजरूआ भूमि के साथ किसी एक यूनिट (100 मी0 लंबाई) का स्थल चयन करने के क्रम में बीच–बीच में रैयती भूमि अवस्थित होने के कारण उचित स्थल चयन में आ रही कठिनाईयों पर विचार करने एवं अनुशंसा आदि के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक दिनांक 04.06.2019 को अपराह्न 12:00 बजे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय कक्ष में की गई है।

2. सर्वप्रथम प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची द्वारा नदी तट वृक्षारोपण योजना के उद्देश्य पर विस्तृत व्याख्या करते हुए द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग द्वारा नदी तट वृक्षारोपण के कार्य स्थल चयन के क्रम में वनभूमि एवं गैर मजरूआ भूमि के साथ किसी एक यूनिट (100 मी0 लंबाई) का स्थल चयन करने के क्रम में बीच–बीच में रैयती भूमि अवस्थित होने के कारण उचित स्थल चयन में आ रही कठिनाईयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए समिति के सदस्यों से मामले पर अपने–अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया गया।

3. उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा नदी तट वृक्षारोपण योजना से होने वाले भू–संरक्षण एवं जल संरक्षण के लाभ की महत्ता को महत्वपूर्ण माना गया। साथ ही इस बात को भी स्वीकार किया गया कि विभिन्न स्थानों पर एक साथ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है एवं रैयती भूमि प्रायः काफी उपजाऊ होती है। सभी सदस्यों द्वारा इस बात पर भी विचार किया गया कि रैयती भूमि पर वृक्षारोपण कार्य करने हेतु वन विभाग के योजना मद से मुख्यमंत्री जन वन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसानों को वनरोपण एवं संधारण कार्यों को स्वयं संपादित करने के आधार पर 75 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ती विभाग द्वारा की जाती है। सभी सदस्यों द्वारा उक्त पृष्टभूमि में सर्वसम्मति से ये स्वीकार किया गया की यदि रैयती भूमि को नदी तट वृक्षारोपण कार्यों में सम्मिलित न करने पर संभवतः अधिकाश नदियों के किनारे वृक्षारोपण कार्य संपन्न नहीं हो पायेंगे क्योंकि एक साथ नदी के किनारे मात्र सरकारी भूमि में वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त स्थल का उपलब्ध होने में काफी कठिनाई आयेगी।

साथ ही चूँकि मुख्यमंत्री जन वन योजना में 75 प्रतिशत तक वनरोपण कार्यों की राशि लाभूक किसान को भुगतान करने का प्रावधान है, अतः ऐसी स्थिति में यदि नदियों के किनारों को भू–क्षरण से बचाना है एवं उनके किनारे भू–संरक्षण के साथ साथ जल संग्रहण की क्षमता भी बढ़ानी है, तो अल्प मात्रा में यदि किसी स्थल पर रैयती भूमि भी उपलब्ध हो एवं संबंधित रैयत वृक्षारोपण कार्यों हेतु सहमति देते हों तो इस योजना में ऐसे भूमि को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

4. अतएव विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत उपरोक्त मामले में समिति द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों की अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया :–

1. सर्वप्रथम यथासंभव नदी तट वृक्षारोपण हेतु कार्य स्थल चयन के क्रम में वनभूमि एवं गैर मजरूआ भूमि को ही प्राथमिकता पर चयन किया जाना चाहिये।
2. इसके पश्चात् यदि किसी वन प्रमण्डल के अंतर्गत जितनी लंबाई में नदी तट वृक्षारोपण का लक्ष्य आवंटित है, उसके अनुरूप यदि किसी स्थल पर 100 प्रतिशत वन भुमि अथवा गैर मजरूआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही हो, तब ऐसी स्थिति में नदी तट वृक्षारोपण की एक इकाई जिसकी लंबाई 100 मी0 होती है उसके चयन के क्रम में यदि आंशिक रूप से रैयती भूमि आ रही हो एवं इस प्रकार की रैयती भूमि का हिस्सा (100 मी0 लंबाई की इकाई में) यदि अधिकतम 30 प्रतिशत हो तो इस प्रकार के स्थल को वृक्षारोपण हेतु चयन हेतु स्वीकार किया जा सकता है। इस क्रम में यह आवश्यक होगा कि जमीन के मालिक वन विभाग को योजना अवधि के लिए उक्त रैयती भूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वेच्छा से सुपूर्द करने को तैयार हो एवं इसके लिए वन विभाग को एकरारनामा सह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दे।
3. समिति द्वारा यह अनुशंसा भी की जाती है कि नदी तट वृक्षारोपण में नदी तट (राजस्व अभिलेख अनुसार निर्धारित किनारा) से किसी एक तरफ अधिकतम 40 मीटर तक के ही भूमि यथा वन भूमि, गैर मजरूआ भूमि अथवा रैयती भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची सह अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गई।

वन संरक्षक, वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन, झारखण्ड, राँची।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।	4/6/19 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची।

04/06 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिण छोटानागपुर, राँची।	4/6/19 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 374 दिनांक– 11/6/19

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक
4. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक प्रसार वानिकी/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक
6. सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी
7. इन्विस केन्द्र झारखण्ड को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.6.19

वन संरक्षक,
वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन,
झारखण्ड, राँची।